भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 511

उत्तर देने की तारीख 03 दिसंबर, 2025 (बुधवार)

12 अग्रहायण, 1947 (शक)

प्रश्न

एनईआर के विकास के लिए निधि

511. श्री बापी हलदरः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत पांच वर्षों में यथा अधिदेशित सभी गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों के बजट का 10% उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए व्यय किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) प्रधानमंत्री उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास पहल (पीएम-डिवाइन) योजना के अंतर्गत इसके आरंभ से अब तक आवंटित और वितरित निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या निधि के वितरण में कोई विलंब हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) 10% जीबीएस तंत्र के तहत सभी गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों/विभागों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने बजट आवंटन का कम-से-कम 10% व्यय करना अनिवार्य किया गया है। पिछले वर्षों में 3,71,789 करोड़ रुपये (106.1%) के आवंटन के लिए 3,94,612 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

(ख) और (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास पहल (पीएम-डिवाइन) जिसे केंद्रीय बजट 2022-23 में 100% केंद्रीय वित्तपोषण के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के तौर पर घोषित किया गया था, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 अक्तूबर, 2022 को 2022-23 से 2025-26 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए 6,600 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ मंज़ूरी दी थी। शुरू होने से लेकर दिनांक 31.10.2025 तक 5728.76 करोड़ रुपये की कुल 44 परियोजनाएं इस स्कीम के तहत मंज़ूर की गई हैं, जिसमें से कुल 2172.64 करोड़ रुपये की निधि जारी की जा चुकी है।

*****